कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपने पत्रांक एफ–7 (18) भर्ती/गोपनीय/2000–01/74 दिनांक 08.05.2018 द्वारा द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के ग्रुप–एफ के पद प्रधानाध्यापक रा मा वि समकक्ष के पद पर वेतन श्रृंखला 12ए (7500–12000)(वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा– पुनरीक्षित वेतनमान नियम–2017 के पे मेट्रिक्स में लेवल एल–14) में निम्नांकित अभ्यर्थी को चयनित किया जाकर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया गया हैं। डी0बी0 स्पेशल अपील(रिट) संख्या 2788/2007 राज्य बनाम माया बजाड में पारित आदेश दिनॉक 22.04.2008/22.12.2008 (अंतर्गत याचिका सं0 7751/2003) के अन्तर्गत शासन के पत्रांक पं.17(219) माध्य/ शिक्षा–2/विप्र/2006 जयपुर दिनांक 26.02.2019 की अनुपालना में इस कार्यालय के आदेश कमांक– शिविरा/ मा/संस्था/बी–I/4001/पीएससी–2004/2004 दिनांक 19.07.2019 द्वारा माया बजाड, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कनबई, उदयपुर का पदस्थापन प्रधानाध्यापक–मावि, के पद पर रामावि, सांगासी, नवलगढ, झुंझनु में किया गया था।

चूँकि प्रधानाध्यापक भर्ती वर्ष 2001–02 की सम्पूर्ण प्रकिया नये नियम दिनांक 20.01.2006 से पूर्व हो चुकी थी। अतः प्रकरण में वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–प 1(2)वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.02.2007 के प्रावधान लागू होंगे एवं श्रीमती माया बजाड की प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति दिनांक 20.01.2006 से पूर्व प्रभावी नियमों से शासित होगी। अतः उक्त आदेश में पैरा संख्या 1 में उल्लिखित विवरण " **प्रधानाध्यापक, मावि के पद पर कार्यग्रहण तिथि से 2 वर्ष के परिविक्षाधीन प्रशिक्षण काल में नियत पारिश्रमिक/विद्वमान वेतनमान पर नियुक्ति प्रदान की जाकर पदस्थापित किया जाता है"** के स्थान पर " **प्रधानाध्यापक, मावि के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष के परिवीक्षा काल पर नियुक्ति प्रदान की जाकर पदस्थापित किया जाता है"** पढा जावें। श्रीमती माया बजाड की नियुक्ति उनसे कनिष्ठ श्रीमती रेणू तंवर को वर्ष 2003 में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति (नियुक्ति आदेश दिनांक 12.02.2004) किये जाने की दिनांक से प्रभावी होगी। साथ ही श्रीमती बजाड को श्रीमती तंवर के प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यग्रहण दिनांक से वेतन एवं वरियता का लाभ काल्पनिक रूप से देय होगा तथा वास्तविक लाभ नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से देय होगा। उक्त स्वीकृति वित्त(नियम) विभाग की आई.डी. संख्या–एसीएस/फायनेन्स/ 102000905 दिनांक 17.03.2020 द्वारा प्राप्त कर प्रदान की जा रही हैं।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/बी–1/45001/पीएससी–2004/2004 दिनांक– 01/06/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
3. शासन संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर
4. विशिष्ट सहायक , शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर
5. सिलस्ट एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कार्यालय हाजा
6. संयुक्त निदेशक–स्कूल शिक्षा,चूरू
7. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक, झुंझनु ।
8. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नवलगढ झुंझनु को पाबन्द किया जाता है कि कि उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें।
9. माया बजाड,प्र.अ. रामावि, सांगासी, नवलगढ, झुंझनु
10. अनुभाग अधिकारी, गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/संस्थापन सी अनुभाग
11. सम्बन्धित शाला–संस्था प्रधान
12. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)